न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा टी.सी. आवंटन
प्रकरण संख्या 25/2017 (GCMS: 2017/00055)
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ

बनाम

**शरफूदीन पुत्र अलादीन** जाति मुसलमान निवासी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (मृतक)

1/1 **फातमा** पत्नी स्व. सरफुद्दीन अकवाम मुस्लमान साकिन
1/2 **साबुद्दीन** वार्ड नं. 22 हाल 19, रेलवे रामलीला के पास
1/3 **समसुद्दीन** सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

1/4 **शबीना** पुत्री स्व. सरफुद्दीन पत्नी अब्दुल मजीद जाति मुस्लमान निवासी वार्ड नं. हाल 18 बिजली बोर्ड के पीछे, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगरश

1/5 **शकीला** पुत्री स्वं. सरफुद्दीन पत्नी रफीक जाति मुस्लकान निवासी वार्ड न. 17 हाल 30 शीतला मार्किट, जामा मस्जिद, सादुलपुर तहसील सादुलपुर जिला चुरू

1/6 **शायरा** पुत्री स्व. सरफुद्दीन पत्नी श्री मो. अकबर जाति मुस्लमान निवासी वाल्मिकी धर्मशाला वार्ड नं. 48 हाल 64, बीरबल चौक, श्रीगंगानगर

1/7 **सलाउद्दीन** पिसरान स्व. सरफुद्दीन अकवाम
1/8 **सलमुद्दीन** मुस्लमान साकिन वार्ड नं. 22 हाल 19,
1/9 **सईदुद्दीन** रेलवे रामलीला के पास, सूरतगढ़
1/10 **सिराजुद्दीन** तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर
1/11 **क्यामुद्दीन** (राज.)

2. **अधिशाषी अधिकारी**, नगरपालिका सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

दिनांक 10.07.2025

**पत्रावली पेश हुई।** अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई, राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर उपस्थित हुए। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ के अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार उपस्थित नहीं हुए, उनके द्वारा पूर्व में लिखित बहस पेश की हुई है। अप्रार्थी के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

**अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि** अप्रार्थी शरफूदीन पुत्र अलादीन को उपनिवेशन तहसील राजस्थान नहर परियोजना, सूरतगढ़ नं. 1 के व उपनिवेशन आयुक्त द्वारा सूरतगढ़ रोही के खसरा नं. 272/3 में 30 बीघा व 487/4 में 15 बीघा बारानी भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के तहत अस्थाई काश्त हेतु सम्वत् 2021 (वर्ष 1964) में आवंटित की गई थी, जब से आज तक भूमि का कब्जा काश्त पहले **अप्रार्थी सरफूदीन के पास व उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद** से आज तक सरफूदीन के वारिसों के पास चला आ रहा है। उपनिवेशन विभाग वर्ष 1985 तक रहा तब तक पट्टा का नवीनीकरण होता रहा। बारानी भूमि की राज्य सरकार द्वारा रकम माफ होने के कारण मालिकाना टी.सी. आलॉटी से फरमाया गया था।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** तहसीलदार, सूरतगढ़ ने एकतरफा तौर पर बिना अप्रार्थी की सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये दिनांक 07.09.2006 को जैर प्रकरण भूमि का टी.सी. आवंटन निरस्त कर दिया गया है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** [illegible] रोही के खसरा नं. 272/3 में 30 बीघा व 487/4 में 15 बीघा बारानी भूमि का सरफूदीन को टी.सी. पर आवंटन है वह सूरतगढ़ [illegible] राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

08.02.2006 का हवाला देकर टी.सी. आवंटन नियमों की अवहेलना मानकर खारिज कर दिया, जिसको अलॉटी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में चुनौती दी गई, जिसको माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दिनांक 09.03.2017 को अनवानी शरफूदीन बनाम स्टेट के माध्यम से निरस्त कर, राजस्थान उप निवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुकुल निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** अप्रार्थीया व उसके पूरे परिवार ने पिछले 50 वर्षों से भारी मेहनत व खर्चा लगाकर काबिल काश्त किया है। जीवन का अधार एक मात्र यही कृषि भूमि है, अप्रार्थी राजस्थान की मूल निवासी है, पेशा काश्तकारी व खातेदारी जारी करवाने की सारी शर्ते पूरी करती है, अप्रार्थीया गरीब व अनपढ़ काश्तकार है। इसलिए तहसीलदार, सूरतगढ़ को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 18 के तहत खातेदारी अधिकारी नियमानुसार जारी का आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** भिन्न भिन्न पीठासीन अधिकारियों ने व सूरतगढ़ पैराफेरी के प्रकरणों मे इसी अदालत के पूर्व जिला कलक्टरों द्वारा इसी प्रकार के टी.सी. खारिज के निर्णयों को रद्द करके खातेदारी अधिकार बहुत से काश्तकारों को जारी किये गये है, जबकि अप्रार्थी के प्रकरण मे तो तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा टी.सी. खारिज के आदेश को निरस्त की कर दिया था, इस अदालत द्वारा महज प्रकरण ड्रॉप ही करना है।

**अप्रार्थी के अधिवक्ता ने** अपनी बहस के समर्थन में सूरतगढ़ रोही के खसरा नं. 487/4 की गिरदावरी सम्वत् 2022–25 (सन् 1965–68), सम्वत् 2026–29 (सन् 1969–1972), सम्वत् 2038–41 (वर्ष 1981–84), सम्वत् 2043–46(सन् 1990–93), सम्वत् 2060–63(2003–06) पेश की है जिसमें वर्ष 1966, 1970–72 एवं [illegible] 1981 से 1984 में नवीनीकरण अंकित किया गया है। [illegible] सम्वत् 2043–46(सन् 1990–93) की गिरदावरी भी पेश [illegible] 1992 एवं 1993 की काश्त करने का ही अंकन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**इसके विपरीत नगरपालिका सूरतगढ़ के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि** टीसी पट्टा धारक फौत हो चुका है व उसके वारिसों ने इस रकबा के टीसी पट्टा बहाल/नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष कभी भी पेश नहीं किया है। टी.सी. पट्टा धारक को टी.सी. लीज 1 साल के लिए ही जारी की गयी थी तथा टी.सी. आवंटन नियमानुसार 5 साल की अवधि के लिए ही किया जा सकता है। अवधि समाप्त होते ही पट्टा/आवंटन स्वतः की खारिज हो गया था।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** टी.सी. नवीनीकरण के लिए पट्टा धारक को प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ता है तत्पश्चात उस प्रार्थना पत्र पर पटवारी की रिपोर्ट आती है। टी.सी. पट्टा धारक का पेशा काश्तकारी है या नहीं?, उसके पास रकबा सीलिंग सीमा से कम या ज्यादा है, तत्पश्चात टी.सी. लीज का नवीनीकरण किया जाता है। इस प्रकरण में ऐसा कतई नही है, इसलिए इस प्रकरण में टी.सी. लीज स्वतः ही खारिज हो चुका है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** टी.सी. पट्टा धारक ने नवीनीकरण अवधि की रकम/लीज राशि नवीनीकरण से पूर्व जमा ही नहीं करवाई है, इसलिए भी टी.सी. लीज पट्टा निरस्त हो चुका है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के नियम 7 ख के अनुसार परिवार नियोजन तरीके ना अपनाने से अयोग्यता – इन शर्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति को भूमि का आवंटन नहीं किया जायेगा, जिसके आवंटन के लिए आवदेन की तारीख को तीन बच्चे हो और इस शर्त के प्रभाव में आने के पश्चात किया गया आवंटन निरस्त करने योग्य होगा। टी.सी. पट्टा धारक के तीन से ज्यादा बच्चे थे, इसलिए प्रथम दृष्टया ही प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

**उनका आगे यह भी कथन है** कि टी.सी. आवंटन नियमों के अनुसार टी.सी. आवंटन पट्टा की अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात या टी.सी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आवंटी के फौत हो जाने के पश्चात स्वतः ही निरस्त हो जाता है। इस प्रकरण का टी.सी. लीज पट्टा धारक फौत हो चुका है व वारिसों के नाम से कभी भी टी.सी. आवंटन नहीं है। प्रथम टी.सी. आवंटन 1955 के नियम 6 के प्रावधानों के विपरीत है। सलाहकार समिति की राय के बिना आवंटन अधिकारी को टी.सी. आवंटन का अधिकार नहीं है इसलिए प्रथम टी.सी. आवंटन ही निरस्त करने योग्य है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** रोही कस्बा सूरतगढ़ का रकबा दिनांक 07.09.2006 तक उपनिवेशन क्षेत्र में था। उपनिवेशन क्षेत्र में नगरपालिका पैराफेरी के रकबा के खातेदारी अधिकार अस्थाई आवंटन को जारी नहीं हो सकते है। टी.सी. आवंटी को यह रकबा कभी भी पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है। इसलिए अप्रार्थी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** उक्त रकबा जमाबन्दियों में शुरू से आराजी राज था प्रार्थी के नाम का गिरदावरियों में टी.सी. आवंटन का अंकन नहीं है। सन् 2006 के पश्चात तो यह रकबा नगरपालिका सूरतगढ़ हो हस्तान्तरित हो चुका था तथा नगरपालिका सूरतगढ़ को अनेक सरकारी संस्थाओं के लिए रकबा की आवश्यकता है, इसलिए जैर प्रकरण का रकबा नगरपालिका सूरतगढ़ को हस्तान्तरण करने की प्रार्थना की है।

**राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि** सूरतगढ़ रोही के खसरा नं. 272/3 में 30 बीघा व 487/4 में 15 बीघा बारानी भूमि तहसीलदार, राजस्व, सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 07.09.2006 से अप्रार्थी शरफूदीन को टी.सी. आवंटन को खारिज कर अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ को लिये जाने के आदेश दिये गये थे । उक्त आदेश दिनांक 07.09.2006 के विरुद्ध अप्रार्थी शरफूदीन ने माननीय मण्डल में वर्ष 2009 को निगरानी पेश की थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि** सूरतगढ़ रोही के खसरा नं. 272/3 में 30 बीघा व 487/4 में 15 बीघा बारानी भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अप्रार्थीगण को अस्थाई काश्त हेतु (टी.सी.) पर आवंटित की गई थी। राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग, जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 के द्वारा ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पेराफेरी क्षेत्र में आती है और इस भूमि को न तो नवीनीकरण किया जा सकता है और न ही किसी प्रकार का पुख्ता आवंटन व खातेदारी अधिकारी दिये जा सकते है। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त आवंटित भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) 1955 की शर्तों व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार, सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 07.09.2006 के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन खारिज किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी एल.आर. संख्या 807/2009 पेश होने पर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 09.03.2017 के द्वारा यह प्रकरण तहसीलदार सूरतगढ का आदेश दिनांक 07.09.2006 को निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को रिमाण्ड किया गया था। राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 09.03.2017 के अनुसार आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकारी इसी न्यायालय को है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में तहसीलदार का आदेश दिनांक 07.09.2006 इस आधार पर निरस्त किया गया है कि तहसीलदार को राजस्थान (अस्थाई कृषि पट्टा) उपनिवेशन अधिनियम 1955 के तहत जारी की गई आवंटित भूमि को खारिज करने का अधिकार नहीं है। चूंकि अप्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज या ऐसा कोई अन्य साक्ष्य पेश नही किया है, जिससे स्पष्ट हो कि तहसीलदार के आदेश दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

07.09.2006 में वर्णित अधिसूचनाएं 15.12.2005 व 08.02.2006 लागू न होती हो। इसलिए उक्त अधिसूचनाओं के तहत अप्रार्थी को आवंटित विवादग्रस्त भूमि नगरपालिका परिधि में आ चुकी है, इसलिए उसका आवंटन निरस्त करने योग्य है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 07.09.2006 से टी.सी. रकबा खारिज कर, उक्त विवादित भूमि का कब्जा नगरपालिका, सूरतगढ़ को दिया गया था, के तथ्यों को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में अप्रार्थी शरफूदीन द्वारा छिपाया गया है तथा नगरपालिका, सूरतगढ़ को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि अप्रार्थी शरफूदीन न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आया

**उनका आगे यह भी कथन है कि** शरफूदीन का देहान्त दिनांक 19.04.2021 को होने के पश्चात, शरफूदीन के वारिसों को केवल, मृतक शरफूदीन का पक्ष रखने के लिए पक्षकार बनाया गया था। अप्रार्थी शरफूदीन के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वारिसानामा के आधार पर शरफूदीन के 11 वारिस है और राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के नियम 7ख के अनुसार तीन से अधिक बच्चों के होने पर टी.सी. पट्टा धारक भी अयोग्य हो जाता है। इसलिए अप्रार्थी शरफूदीन के तीन से अधिक बच्चे होने का कथन उसके द्वारा पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष छिपाया गया है, इसलिए उक्त विवादित रकबा को आराजीराज ही रखा जाना चाहिए।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शरफूदीन के नवीनीकरण प्रार्थना पत्र उपलब्ध है जिसके अनुसार वर्ष 1983 तक उक्त टी.सी. आवंटन नवीनीकरण हुआ है। 1983 के पश्चात नवीनीकरण न होने के कारण उक्त [illegible] आराजीराज रकबा पर टी.सी. आवंटी को खातेदारी न दी जाकर आराजीराज रखा जाना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**मैनें, उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया** और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पूर्व में तहसीलदार, सूरतगढ के आदेश दिनांक 07.09.2006 के द्वारा अप्रार्थी शरफूदीन को सूरतगढ रोही के खसरा नम्बर 272/3 में 30 बीघा एवं खसरा नं. 487/4 में 15 बीघा बारानी भूमि की टी.सी. खारिज कर दी थी, जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी एलआर संख्या 807/2009/गंगानगर अनवानी शरफूदीन बनाम स्टेट पेश हुई, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 09.07.2017 के द्वारा इस आधार पर रिमाण्ड की गयी कि राजस्थान (अस्थाई कृषि पट्टा) उपनिवेशन अधिनियम 1955 के तहत आवंटन खारिज करने का अधिकार जिला कलक्टर को है न कि तहसीलदार को। इसलिए तहसीलदार, सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 07.09.2006 निरस्त कर मामला इस न्यायालय को रिमाण्ड किया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 28.06.2017 के अंतिम पैरा में निम्न आदेश पारित किया है:

> अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 07.09.2006 को प्रकरण उनवानी सरकार बनाम शरफूदीन में पारित निर्णय को निरस्त किया जाता है और प्रकरण जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित कर लेख है कि **राजस्थान उप निवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुकूल निर्णय पारित करें।**

**माननीय राजस्व मण्डल,** अजमेर के आदेश दिनांक 28.06.2017 के अनुसार तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 07.09.2006 को निरस्त कर, **राजस्थान उप निवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के प्रावधानों में सुनवाई करने हेतु रिमाण्ड किया है। अप्रार्थी सरफुद्दीन की दिनांक**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**19.04.2021 को मृत्यु होने पर, सरफुद्दीन के वारिसों द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया, जिसे दिनांक 30.06.2022 को स्वीकार किया जाकर, सरफुद्दीन के वारिसों को केवल अपना पक्ष रखने के लिए पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये थे।**

**जहां तक माननीय राजस्व मण्डल** के आदेशानुसार राजस्थान (अस्थाई कृषि पट्टा), 1955 के तहत अप्रार्थीगण को अस्थाई काश्त पर आवंटित विवादग्रस्त भूमि सूरतगढ़ रोही के खसरा नम्बर 272/3 में 30 बीघा एवं खसरा नम्बर 487/4 में 15 बीघा बारानी भूमि के आवंटन को निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को न होकर, जिला कलक्टर को है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अस्थाई आवंटन की मूल पत्रावली उनके अभिलेख में उपलब्ध न होकर मात्र नवीनीकरण पत्रावली ही उपलब्ध है, जिसके अनुसार दिनांक 12.10.1981 को अप्रार्थी शरफूदीन की तस्दीक के अनुसार वह नगरपालिका सूरतगढ़ का निवासी पाये जाने के कारण, उसे सूरतगढ रोही के खसरा नं. 272/3 में 30 बीघा एवं 487/15 में 15 बीघा कुल 45 बीघा बारानी भूमि का नवीनीकरण किया गया। नवीनीकरण पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार 1983 तक शरफूदीन के नाम उक्त विवादित भूमि नवीनीकरण हुई थी तथा 1983 के पश्चात नवीनीकरण का कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही अप्रार्थी शरफूदीन ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किये है।

**उक्त विवादित रकबा उप शासन सचिव,** नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 27.11.2001 के अनुसार नगरपालिका, सूरतगढ़ की सीमा की परिधि में आता है अर्थात पेराफेरी क्षेत्र में आता है। इस आधार पर राज्य सरकार के परिपत्र (ग्रुप–6) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 15.12.2005 [illegible]08.[illegible]006 के अनुसार ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पेराफेरी में आती [illegible] को ना तो नवीनीकरण किया जा सकता है और न ही आवंटन किया जा[illegible]कता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**उक्त विवादित रकबे का वर्ष 1983** के पश्चात कभी नवीनीकरण नहीं हुआ और न ही ऐसे कोई दस्तावेज साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी शरफूदीन ने ऐसा कोई भी दस्तावेज साक्ष्य या कोई कानूनी परिपत्र आदेश पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत हो कि अप्रार्थी को उक्त वादग्रस्त भूमि का अस्थाई आवंटन आगे नवीनीकरण किया गया है, इस आधार पर अप्रार्थी/उसके वारिस को आवंटित अस्थाई टी.सी. की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

**राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955** के तहत अप्रार्थी को अस्थाई काश्त हेतु एक वर्ष के लिए आवंटित की जाती है तथा टी.सी. आवंटन नियमानुसार 5 साल की अवधि के लिए किया जा सकता है। अवधि समाप्त होते ही यह पट्टा/आवंटन स्वतः की खारिज हो जाता है।

**हस्तगत प्रकरण में** उक्त विवादित सूरतगढ़ रोही के खसरा नम्बर 272/3 में 30 बीघा एवं खसरा नम्बर 487/4 में 15 बीघा बारानी भूमि का, शरफूदीन को वर्ष 1983 के पश्चात कभी भी नवीनीकरण नहीं हुआ है और शरफूदीन का दिनांक 19.04.2021 को देहान्त भी हो चुका है। शरफूदीन के वारिसनामा के आधार पर उसके 11 जायज वारिस है।

**टी.सी. भूमि आवंटी** को खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में कानूनी नज़ीरे निम्नानुसार अवलोकनीय है :

**आरआरडी 2018 पेज नं. 364**

**A lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease**

**आरबीजे 199 पेज नं. 814**

Temporary allotment of land for cultivation – creates no right in favour of the person to whom land was temporarily allotted.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**RRD 1992 Page No. 431**

A lease for temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period – **an heir to a deceased allottee can not claim renewal thereof as a matter of right – he should apply for a fresh allotment for himself on merits.**

**संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार** राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.9(77)राज–6/2008/15 दिनांक 16.03.2018 का पैरा नं. – 2 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ9(77)/राज–6/2008/15 दिनांक 31.05.2008 पूर्णतया व स्वतः स्पष्ट है जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति की भूमि टी.सी. काश्त पर उस समय आवंटित की गई हो जब वह रकबा कॉलोनी क्षेत्र में था, परन्तु बाद में कॉलोनी क्षेत्र से बाहर हो गया हो तो वह व्यक्ति सीलिंग सीमा तक खातेदारी हक लेने का पात्र होगा यदि उस व्यक्ति का भूमि पर दिनांक 01.01.2001 के पूर्व से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा हो।

**अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि** सूरतगढ़ रोही के खसरा नम्बर 272/3 में 30 बीघा एवं खसरा नम्बर 487/4 में 15 बीघा बारानी भूमि आराजी काश्त टी.सी. पर आंवटित की गई थी। आवंटन का कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नही है और न ही अप्रार्थी शरफूदीन ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। अप्रार्थी शरफूदीन ने गत वर्षो की गिरदावरी की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार अप्रार्थी शरफूदीन खसरा नम्बर 272/3 पर वर्ष 1992 एवं 1993 में काश्त की है और खसरा नम्बर 487/4 पर वर्ष 1966, 1970–72, 1993 में काश्त की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी शरफूदीन ने वर्ष 2003—06 की खसरा नम्बर 487/4 की गिरदावरी भी पेश की है जिसके कॉलम संख्या 5 (प्रविष्टियों सहित खातेदार/गैर खातेदार का नाम) — आराजीराज एवं कॉलम संख्या 6 (उपकाश्तकार का नाम तथा उसके पिता का नाम, जाति व निवासी और खेती करने की शर्त)— सरफूदीन पुत्र अलादीन—टीसी(15) अंकित है तथा सम्वत्वार काश्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रविष्ठि का उल्लेख नहीं है। संवत् 2038—41, 2053—56 व 2057—60 की गिरदावरी कटी फटी होने के कारण अप्रार्थी द्वारा गिरदावरी पेश नहीं की है तथा उसके पश्चात की गिरदावरी भी पेश नहीं की है। इससे साबित होता है कि अप्रार्थी शरफुद्दीन/शरफुद्दीन के वारिस उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त नहीं कर रहे है।

**उक्त विवादित भूमि सन् 1983** के पश्चात नवीनीकरण न होने के कारण अप्रार्थी शरफूदीन की टी.सी. स्वतः ही समाप्त हो गई थी और इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शरफूदीन का वारिसनामा के अनुसार, उसके कुल **11 जायज वारिस है** और राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के नियम 7 ख के अनुसर तीन से अधिक बच्चे होने पर टी.सी. पट्टा धारक अयोग्य हो जाता है। इसलिए अप्रार्थी शरफूदीन/शरफूदीन के वारिस टी.सी.आवंटन/खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

**राज्य सरकार के परिपत्र (ग्रुप—6)** विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 के अनुसार ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पैराफेरी में आती है, का ना तो नवीनीकरण किया जा सकता है और न ही आवंटन किया जा सकता है, के सम्बन्ध में अप्रार्थी शरफूदीन ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970** के नियम 4 के अनुसार नगरपलिका सीमा के तहत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है।

**अस्थाई कृषि पट्टा वर्ष 1983 के पश्चात** अप्रार्थी शरफूदीन के नाम से भी नवीनीकरण नहीं होने के कारण एवं राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के नियम 7''ख'' के अनुसार टी.सी. आवंटी के तीन से अधिक बच्चें होने पर भी अयोग्य हो जाता है और टी.सी. आवंटी की मृत्यु के पश्चात भी अस्थाई कृषि पट्टा/टी.सी. आवंटन स्वतः ही खारिज हो जाता है। इसलिए उक्त विवादित भूमि पर शरफूदीन के वारिसों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

**माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने 2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr के पैरा–13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :**

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Transport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, A[illegible] 20[illegible] SC 629]**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**उपरोक्त** विवेचनानुसार **एवं कानूनी प्रावधानों** की पालना में अप्रार्थी शरफूदीन को रोही सूरतगढ के खसरा नम्बर 272/3 में 30 बीघा एवं खसरा नम्बर 487/4 में 15 बीघा बारानी भूमि का **वर्ष 1983 के पश्चात नवीनीकरण न होने, लगातार कब्जा काश्त न होने एवं नगरपालिका की पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण शरफूदीन को कोई अधिकार प्राप्त न होने के कारण उसके उत्तराधिकारियों को भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है,** इसलिए तहसीलदार, सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि रोही सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 272/3 में 30 बीघा एवं खसरा नम्बर 487/4 में 15 बीघा कुल 45 बीघा बारानी भूमि का कब्जा तुरन्त लेकर उचित व्यवस्था करें। आदेश की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यापित प्रति, मूल पत्रावली के साथ रखी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**आदेश आज दिनांक 10.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.08.07 16:19:13 IST
Reason: SelfAttested